रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 22, 1983/माघ 2, 1904
No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 22, 1983/MAGHA 2, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1983

का.आ. 38(अ).—उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) औद्योगिक उपक्रम रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन नियम, 1982 के नियम 10 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 3, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 4 मार्च, 1976 में प्रकाशित भारत सरकार के उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 163(अ)/आर.एल.आई.यू./10(2)/76, तारीख 3 मार्च, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. उक्त अधिसूचना में,—

1 "अनुज्ञापन एवं एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार समिति" शीर्षक के अधीन प्रविष्टि 11 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् —

"12 सचिव, रक्षा पूर्ति विभाग या उसका नामनिर्देशिती"

2. "अनुज्ञापन समिति" शीर्षक के अधीन प्रविष्टि 11 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् —

"12 सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग या उसका नामनिर्देशिती

टिप्पण —मूल अधिसूचना सं का. आ सं 765(अ), तारीख 29 नवम्बर, 1979 और का आ सं 656(अ), तारीख 18 अगस्त, 1981 द्वारा संशोधन किए गए हैं ।

[फा सं. 14(4)/79-एल.पी]

एस. एल. कपूर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 1983

S.O. 38(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 10 of the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952 the Ministry of Industry (Development of Industrial Development), hereby makes the following further amendments to the notification of Government of India in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No S.O. 163(E)/RIU/(102)/76, dated the 3rd March, 1976, published in the Gazette of India Extraordinary Part II—Section 3—Sub-Section (ii), dated the 4th March, 1976, namely :—

1 In the said notification,

1 Under the heading 'Licensing-cum-MRTP Committee' after entry 11, the following entry shall be added namely :—

"12 Secretary, Department of Defence Supplies or his nominee".

2. Under the heading 'Licensing Committee', after entry 11, the following entry shall be added namely :—

"12 Secretary, Department of Defence Production or his nominee"

NOTE.—The Principal notification has been amended vide S.O. No. 765(E) dated the 29th November, 1979 and S.O. No. 656(E) dated the 18th August, 1981.

[File No. 14(4)/79-LP]

S. L. KAPUR, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1983